

न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठसीन अधिकारी के. के. शर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 91/2020 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 25.06.2020
G.C.M.S. NO.: -2020/00228

मेन्टर होम लोन्स (इंडिया) लिमिटेड एक निगमित निकाय है। जिसका प्रधान कार्यालय पंजीकृत कार्यालय-मेन्टोर हाउस, गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर (राज.) में स्थित व कार्यरत है और जिसकी एक शाखा कार्यालय-जयपुर (राज.) में स्थित व कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री गोपाल लाल गाडरी पुत्र श्री दौला राम गाडरी निवासी प्लॉट नं. 08, ग्राम व ग्राम पंचायत रोलाहेड़ा, पंचायत समिति व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 2-श्रीमति गुड्डी देवी पत्नि श्री गोपाल लाल गाडरी निवासी प्लॉट नं. 08, ग्राम व ग्राम पंचायत रोलाहेड़ा, पंचायत समिति व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 3-श्री गुलाब चन्द रेगर पुत्र श्री औंकार लाल रेगर निवासी रेगर मौहल्ला, ग्राम व ग्राम पंचायत रोलाहेड़ा, पंचायत समिति व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002




उपस्थिति : 1- श्री राजेन्द्र सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 02.02.2021

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रुपये 3,00,000/- रु. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।


कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र प्रेषित किये गये। विपक्षी संख्या 1 व 2 का सूचना पत्र लेने से इन्कार की टिप्पणी के साथ पुनः प्राप्त तथा विपक्षी संख्या 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। अतः विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा नोटिस लेने से इन्कार करने तथा विपक्षी संख्या 3 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था एक निगमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

श्री गोपाल लाल गाडरी पुत्र श्री दोला गाडरी की आवासीय सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 08, ग्राम व ग्राम पंचायत रोलाहेड़ा, पंचायत समिति व जिला चित्तौड़गढ़, (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप 1312 वर्ग फीट है। वतुःसीमाएँ:-

पूर्व :- जीतू जी कारवेत

पश्चिम :- आम रास्ता

उत्तर :- नारायण/गणेश

दक्षिण :- नारायण/बोला

उक्त सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 11.09.2018 तक राशि रुपये 5,87,196/- रुपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते हैं। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी है। वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्वोरिटिईजेशन एण्ड रिक्वैस्ट्रेशन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटि इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था में रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'



(के. के. शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
चित्तौड़गढ़